

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पशुपालन, जयपुर।

क्रमांक :- एफ. 1(74)लेखा/बजट/2016-17/ 17544-564

दिनांक :- 16/3/17

जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन, अजमेर, टोंक,  
भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चूरु,  
हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा, अलवर, सीकर,  
झुंझुनू, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड, उदयपुर,  
चित्तौडगढ़, तथा राजसमंद

विषय :- पात्र गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित गौवंश को सहायता राशि दिये जाने हेतु बजट का आवंटन बाबत।

प्रसंग :- निदेशालय गोपालन विभाग का पत्रांक एफ.वी.2( )निगो/बजट/2016-17/161-164 दिनांक 09.01.02017 एवं 2013-16 दिनांक 15.03.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में पात्र गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित गौवंश को सहायता राशि का निम्नानुसार बजट का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है। राशि का उपयोग गोपालन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावे।

क्र. सं.	नाम कार्यालय	बजट मद मांग संख्या 39 2403-00-102-(20)-[03] -12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	बजट मद मांग संख्या 51 2403-00-789-(03)-[01] -12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	बजट मद मांग संख्या 30 2403-00-796-(04)-[01] -12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)
1	संयुक्त निदेशक, अजमेर	3800000		
2	संयुक्त निदेशक, टोंक		300000	
3	संयुक्त निदेशक, भरतपुर		8580000	
4	संयुक्त निदेशक, करौली	1000000		
5	संयुक्त निदेशक, सवाई माधोपुर	700000		
6	संयुक्त निदेशक, बीकानेर			9000000
7	संयुक्त निदेशक, चूरु	12500000		
8	संयुक्त निदेशक, हनुमानगढ़	65000000		
9	संयुक्त निदेशक, श्रीगंगानगर			27000000
10	संयुक्त निदेशक, दौसा	900000		
11	संयुक्त निदेशक, अलवर	6000000		
12	संयुक्त निदेशक, सीकर	24500000		
13	संयुक्त निदेशक, झुंझुनू	1000000		
14	संयुक्त निदेशक, कोटा	2100000		
15	संयुक्त निदेशक, बूंदी	2500000		
16	संयुक्त निदेशक, बारा			2210000
17	संयुक्त निदेशक, झालावाड	2800000		
18	संयुक्त निदेशक, उदयपुर			800000
19	संयुक्त निदेशक, चित्तौडगढ़			1000000
20	संयुक्त निदेशक, राजसमंद			1300000
	योग	122800000	8880000	41310000

(रमेश सांखला)  
मुख्य लेखाधिकारी

क्रमांक :- एफ. 1( 74 )लेखा/बजट/2016-17/

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राज. जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय गोपालन, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (मॉनिटरिंग)।
4. संयुक्त निदेशक, प्रजनन एवं ब्रीडिंग।
5. रक्षित पंजिका।

मुख्य लेखाधिकारी